न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 27 / 2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

मनोज कुमार पुत्र सुरेश चन्द सिंघल, उम्र 32 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स सिंधल मिष्ठान भण्डार मैन बाजार बरखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर निवासी ग्राम बरखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी (प्रतिनिधि)
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 12.07.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 17.03.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के प्रतिनिधि उपस्थित। नियत दिनांक 12.07.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गया कि दिनांक 03.12.2020 को दोपहर बाद 01.00 बजे गैरसायल की फर्म मैसर्स सिंघल मिष्ठा मण्डार मैन बाजार बरखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौरा निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु लोहे की दो बडी ट्रे में 15 किग्रा0 पेडा रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1230/एक्ट/2020/48 दिनांक 08.01.2021 द्वारा उक्त पेडा का नमूना अवमानक स्तर प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक (Sabstandard Food) प्रकृति के पनीर का विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स सिंघल मिष्ठान मण्डार मैन बाजार बरखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर से पेडा की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक (Sabstandard Food) स्तर का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त पेडा के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त पेडा को जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैर सायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रमि नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। दिनांक 03.12.2020 को दोपहर बाद 01.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु पनीर करीब 15 किग्रा0 रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1230/एक्ट/2020/48 दिनांक 08.01.2021 द्वारा उक्त पेडा का नमूना अवमानक स्तर (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 2000/—रूपये (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दि. 12.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)